मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1242 /स्था./मुप्रनिबो/09 भोपाल, दिनांक 11-6- /2009

-: सिटीजन चार्टर :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत किया गया है । वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत

    4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन तथा सीमा पार संचलन) नियम, 2008
    4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
    4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
    4.4 पुर्नचकित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम 1999
    4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
    4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001

5. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट अधिनियम/नियम
    5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
    5.2 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

उपरोक्त अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है । उक्त नियमों में सम्मति/प्राधिकार प्रदान करने की समय-सीमाएँ उल्लेखित है जिसका उल्लेख सिटीजन चार्टर में किया जाना आवश्यक है । विलम्ब होने पर प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण,अध्यक्ष/सदस्य सचिव से शिकायत की जा सकती है ।

बोर्ड का सिटीजन चार्टर निम्नानुसार है :-

क.	कार्य/गतिविधि का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	निराकरण की समय–सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय–सीमा
1	बोर्ड मुख्यालय द्वारा वृहद एवं मध्यम उद्योगों को प्रदत्त की गई सम्मति/प्राधिकार व उनके नवीनीकरण के संबंध में जानकारी	सदस्य सचिव	30 दिवस	अध्यक्ष, म.प्र.प्र. नि. बोर्ड	15 दिवस
2	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लघु उद्योगों को प्रदत्त की गई सम्मति/प्राधिकार व उनके नवीनीकरण के संबंध में जानकारी	क्षेत्रीय अधिकारी	30 दिवस	सदस्य सचिव	30 दिवस
3	केन्द्रीय प्रयोगशाला में जल/वायु विश्लेषण संबंधी जानकारी	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला	30 दिवस	सदस्य सचिव	15 दिवस
4	क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं में जल/वायु विश्लेषण संबंधी जानकारी	प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला	30 दिवस	सदस्य सचिव	30 दिवस
5	बोर्ड मुख्यालय में मध्यम/वृहद उद्योगों/ संस्थानों को सम्मति तथा उसके नवीनीकरण हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	अध्यक्ष, म.प्र.प्र. नि. बोर्ड	120 दिवस	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	30 दिवस
6	क्षेत्रीय कार्यालय में लघु उद्योगों/	क्षेत्रीय अधिकारी	120 दिवस	अध्यक्ष, म.प्र.प्र. नि. बोर्ड	30 दिवस

	संस्थानों को सम्मति तथा उसके नवीनीकरण हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण				
7	बोर्ड मुख्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	अध्यक्ष, म.प्र.प्र. नि. बोर्ड	45 दिवस	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	30 दिवस
8	क्षेत्रीय कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	क्षेत्रीय अधिकारी	45 दिवस	सदस्य सचिव	30 दिवस
9	बोर्ड मुख्यालय में खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन एवं सीमापार परिवहन) अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	अध्यक्ष, म.प्र.प्र. नि. बोर्ड	120 दिवस	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	30 दिवस
10	क्षेत्रीय कार्यालय में खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन एवं सीमापार परिवहन) अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	क्षेत्रीय अधिकारी	120 दिवस	सदस्य सचिव	30 दिवस
11	बोर्ड मुख्यालय में जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	अध्यक्ष, म.प्र.प्र. नि. बोर्ड	90 दिवस	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	30 दिवस
12	क्षेत्रीय कार्यालय में जैव चिकित्सा	क्षेत्रीय अधिकारी	90 दिवस	सदस्य सचिव	30 दिवस

	अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण				
13	प्लास्टिक विनिर्माण,विकय एवं उपयोग नियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण	क्षेत्रीय अधिकारी	30 दिवस	सदस्स सचिव	30 दिवस

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावेगा ।

(आर.के.जैन)
सदस्य सचिव